

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

क0 12 अ-82/19-20 /टिपनापुर/2019
प्रति,

बैतूल दिनांक 12.19

6-1-2020

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल।

विषय:- ग्राम टिपनापुर तहसील आठनेर के भू-अर्जन प्रकरण
में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने
बाबत।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत मौजा टिपनापुर तहसील आठनेर की निरगुड मध्यम परियोजना के पहुच मार्ग हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(तेजस्वी प्रस. नायक)
कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

पृ0क0- 12 अ-82/2019-20/टिपनापुर /
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 12.2019

6-1-2020

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) भैसदेही को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
- 2- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई,
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 5- तहसीलदार आठनेर को प्रश्नांकित स्थल/ग्राम पंचायत एवं कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



कलेक्टर एवं


भू-अर्जन अधिकारी बैतूल


सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट


- 1- परियोजना का नाम :- निरगुड़ मध्यम परियोजना
- 2- लोक प्रयोजन :- सिंचाई हेतु
- 3- स्थल :- खटगड़, निरगुड़, टिपनापुर, मूसाखेड़ी तहसील आठनेर
- 4- परियोजना का क्षेत्र :- 3500 हे0 सिंचित
- 5 विकल्प जिन पर विचार किया गया :- अर्जन की जाने वाली भूमि जलाशय के पहुंच मार्ग के लिए उपयुक्त है।
- 6- परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता :- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित मुलताई
- 7- परियोजना निर्माण के चरण :- प्रथम एवं अंतिम
- 8- परियोजना के प्रभावो को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे :- प्रकरण में नक्शा संलग्न है।
- 9- परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि :- पहुंच मार्ग हेतु 1.052
- 10- भूमि का मूल्य :- ग्राम टिपनापुर की सिंचित भूमि रू0 3,12,000/- एवं असिंचित भूमि 1,56,000/- रू0 प्रति हे0
- 11- प्रभावित परिवारों की संख्या :- ग्राम टिपनापुर के 07 कृषक
- 12- परिसम्पतियां:- लोक सम्पति भूमि भवन निरंक अन्य निजी सम्पति भूमि भूमि 1.052 भवन निरंक अन्य
- 13- विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई :- ग्राम टिपनापुर परिवारों की संख्या निरंक
- 14- सामाजिक समाघात
(क) समाघातों का विवरण :- निष्कर्ष में उल्लेखित है ।
(ख) समाघातों की संकेतक सूची निरंक
- 15- विकल्प जिन पर विचार किया गया
(क) यदि हां - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? लोक प्रयोजन हेतु निरंक
(ख) यदि नहीं - तो क्यों ? निरंक


निष्कर्ष :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पतियां प्रभावित हो रही है जिस बाबत वर्तमान प्रचलित विधि/निर्देशों के तहत मुआवजा दिया जा रहा है ।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है ।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है । सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।


(सिद्धस्य)
श्री मुरारी अग्रवाल


(सदस्य)
उपवन मंडलाधिकारी, मुलताई


(सिद्धस्य)
अविअ जलसंसाधन
आठनेर


(अध्यक्ष)
नितिन टाले,
डिप्टी कले0 बैतूल